

प्रकरण संख्या 65/18

राजस्थान सरकार
न्यायालय तहसीलदार बीदासर
दायरा दिनांक 24.06.2018

पीठासीन अधिकारी
श्री ओमप्रकाश वर्मा
आरटीएस
तहसीलदार बीदासर

राजस्थान सरकार बनाम पटवारी पटवार मण्डल कातर छोटी
प्रार्थी.....

बनाम

अप्रार्थीगण नारायणराम पुत्रगण रेवन्तराम आदि जाति मेघवाल निवासी शिवपुरी
अप्रार्थी.....

निर्णय

दिनांक 23.07.2018

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है पटवारी पटवार मण्डल कातर छोटी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण नारायणराम, सुरजाराम, मूलाराम पुत्रगण रेवन्तराम जाति मेघवाल निवासी शिवपुरीने रोही ग्राम कातर छोटी के खसरा नम्बर 692 किस्म गै. मु. गोचर रकबा 02-09 बीघा भूमि में से 00-03 बीघा पर नाजायज अतिक्रमण कर लिया है। अप्रार्थीगण को धारा 91 एल आर एक्ट के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया। नीयत तारीख पेशी दिनांक 17.07.2018 को अप्रार्थीगण अनुपस्थित। पत्रावली में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर निर्णय किया गया।

पत्रावली का अवलोकन करने एवं पटवारी पटवार मण्डल कातर छोटी के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट नकल एक्स, जमाबन्दी, व पी 14 से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण नारायणराम, सुरजाराम, मूलाराम पुत्रगण रेवन्तराम जाति मेघवाल निवासी शिवपुरी ने रोही ग्राम कातर छोटी के खसरा नम्बर 692 किस्म गै. मु. गोचर रकबा 02-09 बीघा भूमि में से 00-03 बीघा पर नाजायज अतिक्रमण कर लिया है। नियमानुसार अप्रार्थीगणों को अतिक्रमी घोषित किया जाता है और भू0अ0निरीक्षक कातर छोटी को आदेशित किया जाता है कि आप अतिक्रमियों को भौतिक रूप बेदखल करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करें तथा पटवारी हल्का कातर छोटी को आदेशित किया जाता है कि आप अप्रार्थीगण से शरह पड़ता लगान ग्राम कातर छोटी 00.50 रु प्रति बीघा की दर का 50 गुणा राशि अतिक्रमित भूमि 00-03 बीघा की राशि 05/- पाँच रुपये अर्धदण्ड वूसल करें तथा तहसील राजस्व लेखाकार मांग कायमी करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से जारी किया गया एवं सरे इजलास सुनाया गया।



(ओमप्रकाश वर्मा)
तहसीलदार
आरटीएस
तहसीलदार बीदासर